संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
कमांक/4/शिका./सेल–7/मंदसौर/2019 /3483 भोपाल दिनांक 26/1/9

संचालनालय के ज्ञाप कमांक 2381 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा डॉ. महेश मालवीय तत्कालीन कुष्ठ अधिकारी सह प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर (निम्नलिखित) के विशिष्ट म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियमंत्रण एवं अपील) निम्न 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया था।

डॉ. महेश मालवीय के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन उत्तर परीक्षण उपरांत समाधानकार्य नहीं पाये जाने के कारण उनके विद्वान विभागीय जांच संस्थान के निर्णय लिया गया है।

डॉ. महेश मालवीय के विद्वान उपरोक्त प्रकरण में विभागीय जांच संस्थान करने के लिए श्री आर.सी. सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर (सेवानिवृत्त) ने विभागीय जांच अधिकारी को जांच करता तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को प्रस्तुतकार्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विभागीय जांच अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करने हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(श्री. भवनद कुमार देशमुख)
उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 26/1/9

कमांक/4/शिका./सेल–7/मंदसौर/2019 /3484 प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित।
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ नवन भोपाल म.प्र.
2. कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.
3. उप संचालक, विज्ञान, गोपनीयता, लीगल स्वास्थ्य कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संचालक उज्जैन।
5. श्री आर.सी. सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर (सेवानिवृत्त) सह विभागीय जांच अधिकारी राज्य सूचना शिक्षा बूथों जाती आयुक्त चिकित्सालय परिषद में मोपाल की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निदेशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समयवार्डित विभागीय जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुतकार्य इकाई की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयवालिक प्रकरण के प्रति जांच-निदेशक अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
7. डॉ. महेश मालवीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर निम्नलिखित मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संचालक उज्जैन म.प्र.
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्वास्थ्य कार्यालय की ओर भेजकर निदेशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करायें।
9. आदेश नसिब

उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सांचलानाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-7/मन्दसौर/2019/3481 भोपाल दिनांक 26/2/19

आदेश

सांचलानाय के ज्ञाप कमांक 2379 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा डॉ. रेवा शंकर जोशी तत्कालीन मेडिकल अफीसर सुवासरा जिला मन्दसौर (निलिंबित) के विरुद्ध म.प. सिविल सेवा (बर्गकरण, नियत्रण एवं अपोल) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया था।

डॉ. रेवा शंकर जोशी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेद उत्तर परीक्षण उपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विमागीय जांच सर्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डॉ. रेवा शंकर जोशी के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण में विमागीय जांच सर्चित करते हुए श्री आर.सी. स्कव्स्ना संयुक्त कलेक्टर (सेरा.निर्वाचित) सह विमागीय जांच अधिकारी को जांच करता तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विमागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेश।

(डॉ. विनोद कुमार देशमुख)
उपसचाल (शिकायत)
सांचलानाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक

कमांक/4/शिका./सेल-7/मन्दसौर/2019

प्रतिलिपि— सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय दलबन भोपाल म.प.।
2. कलेक्टर जिला मन्दसौर म.प.।
3. उप संचालक, विज्ञान, गोपनीय, लीग लॉन्गरी कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, उज्जैन समागम उज्जैन।
5. श्री आर.सी. स्कव्स्ना, संयुक्त कलेक्टर (सेरा.निर्वाचित) सह विमागीय जांच अधिकारी राज्य सूचना शिक्षा बूढ़ो जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर भोपाल की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समायोजन में विमागीय जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी का जांच में पूर्ण सशक्त होना प्रारंभ करें।
7. डॉ. रेवा शंकर जोशी तत्कालीन मेडिकल अफीसर सुवासरा जिला मन्दसौर निलिंबित मुख्यल्य सिविल सर्जन सह मुख्य अप्सताल अधिकारी जिला देवास म.प.।
8. प्रभारी एम.आई.सी.एल स्वास्थ्य कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करायें।
9. आदेश नारित
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
कर्मांक/4/शिका./सेल–बी.सी./59/17/3321
संशोधित आदेश
भोपाल दिनांक 5/12/19
संचालनालय के आदेश कर्मांक 4/शिका./सेल–बी.सी./59/17/19/3066 दिनांक 06.11.2019 द्वारा लोकायुक्त जांच प्रकरण कर्मांक 59/17 डॉ. बी.एल. आर्य प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिशन संचालक अधिकारी विदिशा के विरुद्ध संचालक अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनकी उपस्थितियों में स्वास्थ्य राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन होने के फलस्वरूप, उपस्थित शाखाओं का उत्तर प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक

प्र. कर्मांक / 4/शिका./सेल–बी.सी./59/17/
प्रतिलिपी— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. विधि सलाहकार–4 लोकायुक्त कार्यलय लोकायुक्त भवन भोपाल की ओर प्रकरण कर्मांक 59/17 के संदर्भ में सूचनार्थ नियुक्त।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वर्तमान भवन भोपाल।
3. श्री दिनेश चंद्र सिंही सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर आई.एस. ब्यूरो परिसर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नियुक्त।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा म.प्र।
6. डॉ. बी.एल. आर्य प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा।
7. डॉ. शरद तिवारी उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय वृद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन संचालक एन.एच.एम. भोपाल।
8. उप संचालक अधिकारी शाखा स्थानीय कार्यलय की ओर आवश्यक कार्यवाही नियुक्त कर लेख है कि मानसिक जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी की सहयोग करें।
9. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यलय की ओर प्रस्तुत कर लेख किया जाता है कि प्रभारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।

उप संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल-5/हरदा/2019/2744

भोपाल दिनांक 25/9/19

आदेश::

डॉ.राजेष मिठोरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हरदा को संचालनालय के
आदेश कमांड4/शिका./सेल-5/हरदा/2019/1637 दिनांक 10.06.2019 द्वारा निलंबित किया
जाकर, उनके विरुद्ध संचालनालय के ढाप कमांड4/शिका./सेल-5/हरदा/2019/2115.
दिनांक 16.07.2019 के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966
cे नियम 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी किये गये।

डॉ.राजेष मिठोरिया, निलंबित चिकित्सा अधिकारी पर अधिरोपित आरोप गंभीर स्वरूप के हैं।
उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिबद्ध उल्लर परीक्षण उपरांत संलग्नक थानी प्राप्त जाता है। अतः उनके
विरुद्ध विभागीय जांच संस्थान की जाती है। विभागीय जांच में डॉ.भारत सिंह, संचालक, स्थानीय
कार्यालय को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा
cो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रमण
cं की जांच एक माह में पूर्ण करके विभागीय जांच प्रतिवेदन अधिकारीको भेजना सुनिश्चित
cरूआ।

शायद (नीलों खास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क.4/शिका./सेल-5/एफ-28/रायसेन/2019/28

प्रतिलिपि:- मूलन्यां एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, वल्लभ
नगर, भोपाल।

2. कलेक्टर जिला हरदा/राजगढ मध्यप्रदेश।

3. उप संचालक, विज्ञापन/गोपीनाथ/लीलाल स्थानीय कार्यालय।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संघ भोपाल।

5. डॉ.भारत सिंह, संचालक, स्थानीय कार्यालय।

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- जिला हरदा व.प्र. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को
निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रमण से संबंधित अभिलेख समय सीमा में जांच अधिकारी को
उपलब्ध कराते हुए जांच में सहयोग प्रदान करें।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ।

8. डॉ.राजेष मिठोरिया, निलंबित चिकित्सा अधिकारी (निश्चेत्ता विशेषज्ञ), जिला चिकित्सालय,
हरदा।

9. प्रमुख एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख दिया
जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये।

10. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश
दिल्ली जिले में फर्जी स्थानांतर आदेश एवं फर्जी कोड के माध्यम से विभाग के मंत्री-प्रतिक्रियाओ को कार्यान्वयन ग्रहण करने वाले प्रक्रम में श्री-रविकांत सेन लेखापाल करारलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली संचालन अधिकारी के आदेश कमांड 2/अविश्वास/सेल-9/दिल्ली/2018-167-एच दिनांक 19.10.2018 द्वारा निर्देशित किया गया तथा उनके विरूद्ध संचालनलय के ज्ञाप कमांड 2/अविश्वास/सेल-9/2018/294 जी-दिनांक 03.03. 2018 द्वारा म.प्र। सिविल सेवा (वर्गिकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। श्री सेन द्वारा प्रतिवर्तिनलय उत्तर दिनांक 10.04.2018 को संचालनलय में प्रस्तुत किया गया तथा इसे आदेश दिनांक 01.03.2019 के द्वारा निलंबन से बहाल किया गया।

इस प्रक्रम में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दिल्ली डॉ। आर।एस। गुप्ता के विरूद्ध संचालनलय के आदेश कमांड 1113 दिनांक 13.06.2018 द्वारा विमानीय जांच संरक्षित की गई है। अतः प्रक्रम में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ समान न्याय/कार्यवाही के वृद्धिकोष से श्री रविकांत सेन लेखापाल करारलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली के विरूद्ध विमानीय जांच संरक्षित की जाती है।

विमानीय जांच हेतु-अपर संचालन (फ्राइजर) संचालनलय स्वास्थ्य सेवाओं को जांच कराने अधिकारी एवं उप संचालन अविश्वास स्थापना को प्रस्तुततर्कित अधिकारी नियुक्त किया गया। जांचमांड़ अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विमानीय जांच एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित संचालनलय को उपलब्ध कराए।

(नीलेश यास)  
स्वास्थ्य आयुक्त,  
मध्यप्रदेश

पृ 0 कमांड/4/शिकायत–की।सी।/996/16/2019  
प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. विधि सलाहकार-4, नाम से लोक आयुक्त कारार्लय, लोक आयुक्त भवन, भोपाल की दिनांक प्रक्रम कमांड 996/16/16 के सदर से सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामराज्य, वर्तमान भवन, भोपाल।
3. मित्र सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य स्थानीय कार्यलय।
4. डॉ। कैलास बुंदेला, अपर संचालन (फ्राइजर) संचालनलय स्वास्थ्य सेवाओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय संचालक संचालनलय सेवाओं, व्यापारिक सभा कार्यालय म.प्र।
6. डॉ। शरद तिवारी, उप संचालक (अविश्वास) प्रस्तुततर्कित अधिकारी की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रम की विमानीय जांच में जांचमांड़ अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली म.प्र।
8. उप संचालक दिज्टल/डायनाइज्म/लीगल सेल स्थानीय कार्यलय।
9. श्री रविकांत सेन लेखापाल करारलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यलय दिल्ली म.प्र।
10. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त,  
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कृमांक/4/शिका./सेल—डी.सी./996/16/2019

27 38

भोपाल दिनांक
25/9/19

दत्तिया जिले में फर्जी स्थानांतर आदेशों एवं फर्जी कोड के माध्यम से बिभाग के अधीन व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रकरण में श्री मुरुरीलाल पाण्डेय सहायक रेड—2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दत्तिया को संचालनालय के आदेश कृमांक 2/अविद्या/सेल—9/दिनांक 2018/165—एच दिनांक 19.10.2018 द्वारा निर्लिप्त किया गया तथा उनके विरूद्ध संचालनालय के ज्ञाप कृमांक 2/अविद्या/सेल—9/2018/294 जे, दिनांक 03.03.2018 द्वारा म.प. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के निम्न 14(3) के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया, श्री पाण्डेय द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 10.04.2018 को संचालनालय में प्रस्तुत किया गया तथा इन्हें आदेश दिनांक 01.03.2019 के द्वारा निलंबन से बहाल किया गया।

इस प्रकरण में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दत्तिया डॉ. आर.एस. गुप्ता के विरूद्ध संचालनालय के आदेश कृमांक 1113 दिनांक 13.06.2018 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। अतः प्रकरण में संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ समान न्याय/कार्यवाही के दृष्टिकोण से श्री मुरुरीलाल पाण्डेय सहायक रेड—2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दत्तिया के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाती है।

विभागीय जांच हेतु अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को जांच कर्ता अधिकारी एवं उप संचालक अविद्या स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत संहित संचालनालय का उपलब्ध करायें।

नीतीश यास
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

भू कृमांक/4/शिका./सेल—डी.सी./996/16/2019

भोपाल दिनांक

प्रतिष्ठित:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विधि सलाहकार—4, नाम से लोक आयुक्त कार्यालय, लोक आयुक्त भवन, भोपाल की ओर प्रकरण कृमांक 996/16 के सदर्म में सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

3. मिज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य स्थानीय कार्यालय।

4. डॉ. वैलाल पुंडेला, अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्यालिसर संस्थान ग्यालिसर म.प.।

6. डॉ. शरद तिवारी, उप संचालक (अविद्या) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दत्तिया म.प.।

8. उप संचालक विपिन / गोपीनाथ / भोपाल सेल स्थानीय कार्यालय।

9. श्री मुरुरीलाल पाण्डेय, सहायक रेड—2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दत्तिया म.प.।

10. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश
जिला दिग्गजों में विलयीय वर्ष 2013 से विलयीय वर्ष 2015 की अवधि में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक चौधरी द्वारा सामग्री क्रम में की गई विलयीय अनियमितताओं के कारण उनके विरुद्ध संचालनालय के ज्ञान कमांड.4/शिक. /सेल.3/एफ. 54/दिग्जेंडी/2016/2018 दिनांक 12.09.2016 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आश्वादन प्रस्ताव दायर किया गया। डॉ. चौधरी द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 26/10/2016 प्रस्तुत किया गया। डॉ. चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर, परीक्षणपरात संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः उनके विरुद्ध विभागीय जांच संरचित की जाती है।

विभागीय जांच प्रक्रमण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जल्दीपुर समां, जल्दीपुर को सामग्री कर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दिग्जों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि 02 मह. में विभागीय जांच पूर्ण कर, जांच प्रतिवेदन स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. पिनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांड.4/शिक. /सेल.3/दिग्जेंडी/आ.कृ.1209/2019/
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वें--

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वालब महान, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर अभिक।

2. संचालक, विभाग समा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर नवंबर–दिसंबर 2015 में प्राप्त विभाग समा प्रशंसन कमांड.1106 से उद्धृत लिखित आवश्यक कमांड.1209 के संदर्भ में प्रस्तुत।

3. अतिरिक्त संचालक, विभाग स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर वितरण क्रम में उनके द्वारा फिर दिनांक 5.9.2019 के द्वारा दिये गये अभिक। के संदर्भ में प्रस्तुत।

4. उप संचालक, विज्ञाप्त/गोपनीय/सी.एल. शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रस्तुत।

5. उप संचालक, विभाग समा शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर नवंबर–दिसंबर 2015 में प्राप्त विभाग समा प्रशंसन कमांड.1106 से उद्धृत लिखित आवश्यक कमांड.1209 के संदर्भ में प्रस्तुत।

निर्देश:.......2
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति प्रस्तुत कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समयावधि में प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिबंधन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ठिण्डौरी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) मध्यप्रदेश की ओर आदेश की प्रति प्रस्तुत कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. चौदहा की विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान कर जांच प्रतिबंधन आदेश में वर्णित समयावधि में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी, मध्यप्रदेश।

9. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।

10. जिला कोषलयां प्राप्तकर्ता जिला ठिण्डौरी एवं जिला कटनी, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।

11. डॉ. आशोक चौदहा, तल्कालीन संचालनीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ठिण्डौरी एवं कटनी निवास का पता धंटाघर रोड तल्कालीन राष्ट्रीय स्कूल के सामने जिला कटनी, मध्य प्रदेश द्वारा—क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

12. प्रमाण पत्र नमूना एस.एस.एस.सैल. स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

13. आदेश नसिल।

[रोजगार का दिन (24) 1971]
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सांचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
कर्मकांक 4/शिका/सेल-2/2019/2653
भोपाल, दिनांक 18/9/19
आदेश
माननीय उच्च न्यायालय बैठक याचिका कर्मकांक अम.सी.सी.आर.सी. 24557/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2019 के पालन में डॉ. अशिवन चौधरी, मेडिकल आफीसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खानकार जिला बुरहानपुर के द्वारा श्री गुलाब करणसिंह बेले जिला भिंड को जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रकरण की जांच क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा 02 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रदान किया गया।

डॉ. अशिवन चौधरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.05.2019 एवं 31.05.2019 को अभ्यासवेदन प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2019 में पुनः निम्न विन्दुओं पर जांच किये जाने का अनुरोध किया गया:—

1. जांच में प्रस्तुत बेड हेड टिकट एवं मूल ओपी.डी. अस्पताल रिकार्ड में जमा है जिससे स्पष्ट होता है कि मूल ओपी.डी. एवं बेड हेड टिकट वास्तविक है।
2. दैनिक दवा खच पंजी में मरीज को बिताते दवाओं का उल्लेख है। उक्त मूल रिकार्ड भी अस्पताल में है।
3. बेड हेड टिकट में प्रस्तुत दवाएँ दैनिक दवा खच पंजी में अंकित है।
4. उक्त अस्पताल में विशेष 5 मिशनों में 09 भरती मरीजों की प्रविष्टि आई.पी.डी. पंजी में नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानकार जिला बुरहानपुर में भरती मरीजों की आई.पी.डी. में संबंधित स्टाफ द्वारा प्रविष्टि नहीं की जाती है। इसके लिये वह दोषी नहीं है।
5. उनके द्वारा भरती मरीज श्री गुलाब सिंह की प्रविष्टि ओपी.डी. पंजी में है। जो मरीज ओपी.डी. में दर्ज हो कर भरती नहीं होते हैं। उन्हें प्रदत्त दवायों सर्दार बलभद्र भाई पटेल वित्तमंत्री पंजी में दर्ज होती है जो दैनिक दवा पंजी से अलग है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय बैठक याचिका कर्मकांक अम.सी.सी.आर.सी. 24557/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2019 के परिपालन में तथा डॉ. अशिवन चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यासवेदन दिनांक 24.05.2019 एवं 31.05.2019 में उठाये गये विन्दुओं की जांच हेतु निम्नानुसार संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाता है:—

1. सचालक, अस्पताल प्रशासन,
सचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल।
2. सचालक, लोक स्वास्थ्य,
सचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।
3. उप सचालक, शिकायत शाखा,
सचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव
संयुक्त जांच समिति को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जांच कर स्पष्ट अभिक्षण के साथ जांच प्रतिवेदन 10 दिनों में प्रस्तुत करें। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें जाए।

स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित।

(डॉ.विनोद दुःखार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पु.क्रमांक/4/शिका./सेल-2/2019/ 2654 भोपाल, दिनांक 18/9/19

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासकीय महासभावका माननीय उच्च स्वायत्त भवन ग्वालियर।

2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

3. संचालक, अध्यक्ष प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।

4. संचालक, लोक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।

5. अपर संचालक, (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।

6. संयुक्त संचालक, विज्ञान/गोपीनाथ/लीलाल शाखा स्थानीय कार्यालय।

7. उप संचालक (शिकायत शाखा) (सदस्य सचिव) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिसंग्राह। शिकायत शाखा में उपलब्ध रिकार्ड/नस्ती (अभिलेख) संलग्न प्रेषित हैं।

8. केंद्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर /ग्वालियर म.प्र. भोपाल।

9. मुख्य विकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर म.प्र. की ओर तत्काल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिसंग्राह।

10. सिद्धिवेदन सह मुख्य अध्यक्ष अधिकारी बुरहानपुर।

11. डॉ. अरिन्द चोधरी, मेडिकल आफोसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार जिला-1 बुरहानपुर।

8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि आदेश विभाग की बेवकूफ रूप से उपलब्ध करें।

9. आदेश नस्ती।

(डॉ.विनोद दुःखार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
कमांक/4/शिका./सेल-वी.सी./59/17/2019/2531
भोपाल दिनांक 3/3/2019

आदेश

डॉ. बी.एल. आर्य, प्रमाणी मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के विरुद्ध संचालनालय के ज्ञाप कमांक 1113 को दिनांक 16.11.2018 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गिकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये।

डॉ. बी.एल. आर्य प्रमाणी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा का क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल के पत्र कमांक 10811 दिनांक 21.12.2018 द्वारा प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने से विभागीय जॉब संरचना करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय जांच प्रकरण में डॉ. मोहन सिंह संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को जांचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. शरद तिवारी उप संचालक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित संचालनालय को उपलब्ध करायं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पूर्व कमांक/4/शिका./सेल-वी.सी./59/17/2019
भोपाल दिनांक 3/3/2019

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. विभिन्न सलाहकार-4, नाम से लोक आयुक्त कार्यालय, लोक आयुक्त भवन, भोपाल की ओर प्रकरण कमांक 59/17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मत्रालय, बल्लभ महन, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य स्थानीय कार्यालय।
4. डॉ. मोहन सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र।
6. डॉ. शरद तिवारी, उप संचालक (अविज्ञात) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा म.प्र।
8. उप संचालक विधान-श्रेणा शाहीन स्थानीय कार्यालय की ओर प्रस्तुत चिकित्सक 350 तक उद्धृत आवश्यक कमांक 175 के संदर्भ में प्रेषित।
9. उप संचालक विधान-श्रेणा शाहीन अधिकारी, विदिशा म.प्र।
10. आदेश नस्ती।

उप संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
श्री रितेश आर्य, स्थापना लिपिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय विभाग के विभाग, संचालनालय के ज्ञाप कमांड 1115 व्यू दिनांक 16.11.2018 द्वारा म.प्र. सीवील पृष्ठ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपैल) नियम 1966 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये।

श्री रितेश आर्य स्थापना लिपिक द्वारा दिनांक 05.04.2019 को प्रतिवाद उत्तर संचालनालय में प्राप्त हुआ। प्रतिवाद उत्तर संचालनालय नहीं पाए जाने से विभागीय जांच सीधे हो। जिम्मेदार जांच प्रक्रिया में डॉ. मोहन सिंह संवालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को जाँचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. शरद तिवारी उप संवालक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जाँचकर्ता अधिकारी को निर्देशन किया जाता है कि जिम्मेदार जांच एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित संचालनालय को उपलब्ध करवावे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

२०१९ क्रमांक/४/शिका.।/सेल–ही.सी./59/17/2019

भोपाल दिनांक

प्रतिविधि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विभाग सालाहकार—४, नाम से लोक आयुक्त कार्यालय, लोक आयुक्त भवन, भोपाल की ओर प्रक्रिया कमांड 59/17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रविष्ट है।

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मत्रालय, व्यक्तित्व भवन, भोपाल।

3. निज संहायक, आयुक्त स्वास्थ्य स्थानीय कार्यालय।

4. डॉ. मोहन सिंह, संवालक स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

5. केंद्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल म.प्र।

6. डॉ. शरद तिवारी, उप संवालक (अविधान) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रिया की विभागीय जांच में जाँचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभाग म.प्र।

8. उप संवालक विधान–राजा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रश्न कमांड 350 से उद्धृत आश्वासन कमांड 175 के संदर्भ में प्रविष्ट।

9. उप संवालक विज्ञापन/गोपीनाथ/लोकल सेल्स स्थानीय कार्यालय।

10. श्री रितेश आर्य, स्थापना लिपिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय विभाग म.प्र।

11. आदेश नस्ती।

उप संवालक (शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
आदेश

जिला सीधी में डॉ.एम.पी.तिवारी, सेवानिवृत्त तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी एवं डॉ.बृजेश पाण्डे, तत्कालीन कार्यक्रम प्रबंधक के विरुद्ध लोक आयुक्त कार्यालय में जांच प्रकरण क्रमांक 458/11 पजीबंद होकर लोक आयुक्त समग्र सामाजिक सरकार समिति सैद्ध का जांच प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ प्रकरण की जांच कराये जाने के उपरांत संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक पत्र क्रमांक 517, दिनांक 16.3.2016 द्वारा डॉ.एम.पी.तिवारी को आरोप पत्र जारी किये गये तथा ज्ञाप क्रमांक 519, दिनांक 16.3.2016 द्वारा डॉ.बृजेश पाण्डे को आरोप पत्र जारी किये गये।

डॉ.बृजेश पाण्डे जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला सीधी एवं डॉ.एम.पी.तिवारी सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत किया गया एवं पूर्ण उत्तर प्रस्तुत हेतु मूल अभिलेख चाहा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी एवं लोक आयुक्त कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों की प्रति उनके उपलब्ध कराई गई। अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन/प्रतिवाद उत्तर में, पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर के अन्तर्गत अन्य कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने से विभागीय जांच सशक्तिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें शैवा संभाग-शैवा को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त पर किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को उपलब्ध कराये।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.बिनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिक्षा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विभि सलाहकार–1, नाम से लोक आयुक्त कार्यालय, लोक आयुक्त भवन, भोपाल की ओर प्रकरण कमांक 458/11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य राज्यीय कार्यालय।

4. शैक्षणिक संचालक स्वास्थ्य सेवायें, शीवा संभाग शीवा म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीढी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)की ओर आदेश की प्रति मेजबाद निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।

6. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।

7. डॉ.एम.पी.तिवारी, (सेवानिवृत्त) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीढी म.प्र।

8. डॉ.बुधेश पाण्डे, कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीढी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पंचशील डिस्पेंसरी 1250 तुलसी नगर भोपाल म.प्र.द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल।

9. आदेश नसती।

उप संचालक(शिका)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश
क्रमांक एफ 12-06/2012/सत्रह/मेडिं-1(पी) : डॉ. पदमकर त्रिपाठी, तत्कालिन मेलेरिया अधिकारी; जिला भोपाल के विरुद्ध स्थापित विभागीय जांच में इस विभाग के समस्तत्वक आदेश दिनांक 13.03.2019 द्वारा सुश्री रुही खौं, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर संचालक (नरिंग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। सुश्री रुही खौं का अन्यत्र रथानान्तरण होने के फलस्वरूप स्वास्थ्य अधिनियम एवं दहदहार झंडे, पदमकर त्रिपाठी, तत्कालिन मेलेरिया अधिकारी; जिला भोपाल के विरुद्ध स्थापित उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में सुश्री रुही खौं, तत्कालिन उप सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर संचालक (नरिंग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के स्थान पर श्रीमती उषा परमार, अधिनियम संचालक, एन.एच.एम. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है, उक्त जांच प्रकरण के तत्कालिन अधिकारी समानिकी संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संघात, भोपाल अधिकारी, एफ 08/2019

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सत्यपुरा भवन, भोपाल (म.प्र.)

पुष्ता, क्रमांक एफ 12-06/2012/सत्रह/मेडिं-1 मोपाल, दिनांक 2-5/06/2019

प्रतिष्ठित :-

1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बैकसाइट पर अपलोड करने हेतु समस्तत्वसमेत जांचकर्ता अधिकारी को नियुक्त करने एवं आदेश-की को प्रमिति डॉ. पदमकर त्रिपाठी को उपलब्ध कराने बावजूद।

2- श्रीमती उषा परमार, अधिनियम संचालक, एन.एच.एम. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी की ओर उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण से संबंधित मूल अभिलेख/नक्श (नोटपिपट भाग 01 से 25 तक एवं पत्रावल भाग 01 से 78 तक) संलग्न करें, जांच की शेष कार्यवाही पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन व्याख्यानी संहार संचालन से उपलब्ध कराने बावजूद।

3- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल सभाग, भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी), जांच कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देने हेतु।

4- संचालक, (नरिंग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर उक्तराज्य की प्रति सुश्री रुही खौं, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर संचालक (नरिंग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल को उपलब्ध कराने हेतु।

5- डॉ. पदमकर त्रिपाठी, राज्य क्षेत्र अधिकारी (क्र्यावधि), संचालनालय स्वास्थ्य सेरावे, म.प्र. भोपाल की ओर सुचारू एवं अवकाशकाल जांचकर्ता नियुक्त हेतु प्रस्तुत अधिकारी।

संलग्न- यथोपरिः (सतर्क क्रमांक-02 के संबंध में)

अधिनियम संचालक
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
कमांक/4/शिका/सेल 7/देवास/2019/2028 भोपाल, दिनांक 9/7/2019
आदेश

जिला दण्डायकारी देवास के पत्र क. 1272 दिनांक 18.5.2016 के द्वारा मृतिका श्रीमती ममता पटिति कहैयालाल पटेल की मृत्यु स्वास्थ्य के बरीठा जिला देवास में एल.टी.टी. आपरणण के उपरांत होने के कारण थाना बरीठा जिला देवास में दर्ज अपराध क. 188/2015 धारा 304 ए. 34 भावस में डॉ. देवेश कुमार शिवारी शत्याकिया विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय उज्जैन एवं डॉ. अनंत पटेल चिकित्सा अधिकारी प्रादेशिक बरीठा जिला देवास के बिरुद्ध अभियोजन स्वीकृति बाबुल पुलिस अधीक्षक देवास का पत्र क. 392 दिनांक 16.5.2016 तथा प्रकरण की केंद्र डावरी संलग्न प्रस्तित करके अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।

अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रकरण के अभिलेखों की जांच कर जांच प्रतिवेदन अभिलिक्षा सहित प्रस्तुत करने हेतु निम्न विशेषज्ञ की समिति गठित की जाती है :—

1. डॉ. भोमा सिंह
   संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
2. डॉ. श्रीमती अर्जना मिश्रा
   उपसंचालक (संलग्न स्वास्थ्य)
3. डॉ. निधि पटेल
   उपसंचालक (परिवार कल्याण)

उक्त समिति प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन अभिलिक्षा सहित 1 माह में प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेश)

पू. कमांक/4/शिका/सेल 7/देवास/2019/

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आदेशकार कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग मंत्रालय भोपाल म.प.।
2. मिश्रण संचालक एन.एच.एम. म.प.।
3. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
4. कल्याण जिला देवास म.प.।
5. डॉ. मोहन सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ म.प.।
6. डॉ. अर्जना मिश्रा उपसंचालक मातृज्ञ स्वास्थ्य एन.एच.एम. म.प.।
7. डॉ. निधि पटेल उपसंचालक परिवार कल्याण।
8. पुलिस अधीक्षक देवास म.प.।
9. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ उज्जैन सभाग उज्जैन म.प.।
10. पुलिस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास म.प.।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सवाय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.295/2019/भोपाल दिनांक 06/06/2019.

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रमांक 382 दिनांक 29.06.2012 द्वारा डॉ कांदिला बिकित्ता अधिकारी,कार्यालय सिविल सर्जन संह मुख्य अस्पताल अधिकारी, धार के विक्रम विभागीय जांच संस्थापित कर, श्री राधावल्लभ शर्मा (सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक) को जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिकारी, धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। किन्तु जांचकर्ता अधिकारी श्री राधावल्लभ शर्मा की कार्य अन्धत्र में दु:ख न होने के परिणामस्वरूप डॉ गुप्ता के विरुद्ध संरक्षित विभागीय जांच समयावधि में पूर्ण नहीं हो सकी।

अतः डॉ कांदिला बिकित्ता अधिकारी के विरुद्ध संरक्षित विभागीय जांच प्रकरण में श्री पेनेश चन्द्र सर्क्सना सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिकारी, धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एतद् आदेश द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच दो माह की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिबद्ध अन्विष्ट: प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेश)

(डॉ विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकारी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश


प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—
1. प्रमुख सचिव,म.प.शासनीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवां, स्थानीय कार्यालय।
3. अपर संचालक (शिकारी) स्वास्थ्य सेवां, स्थानीय कार्यालय।
4. कलेक्टर जिला, धार।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धार (प्रस्तुतकर्ता अधीक्षक) की ओर विभागीय जांच कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
6. श्री सेवां बंद्र सर्क्सना सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर (जांचकर्ता अधीक्षक) संचालक, आई.सी.ई.एस. ब्यूरो जय प्रकाश विकित्सालय पारिसर भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
7. उप संचालक (विज्ञाप) स्वास्थ्य सेवां, स्थानीय कार्यालय।
8. मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीक्षक जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पुष्टिपत्र प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित विकित्सा को तामिल करना सुनिश्चित कर प्राती अभिनवीकृति की छायापत्र संचालनालय को 07 दिन में अन्विष्ट भेजें।
9. डॉ कांदिला गुप्ता, मेडिकल अफिसर, जिला विकित्सालय, धार की ओर।
10. प्रभारी एन.आई.एस.सेल्यूलिस्ट जांचकर्ता की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. स्टॉक फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

(डॉ विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकारी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवां,
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
क. /4/शिका./सेल-5/एक-28/रायसेन/2019/1552 भोपाल दिनांक 23/5/2019

श्रीमती निशा तिवारी, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय, रायसेन के विरुद्ध संचालनालय के ज्ञाप
कर्मांक/4/शिका./सेल-5/रायसेन/2018/656, दिनांक 26.03.2018 के हारा आरोप पत्रादि जारी किये गये।
श्रीमती निशा तिवारी हारा प्रस्तुत प्रतिवेद उत्तर परिक्षण उपसर्व असमाधानक वाक्य जारी करे पर उनके विरुद्ध
विभागीय जांच संस्थित करने का निर्देश नियमित किया गया। अतः श्री रघु मण कंदर सरसना, सेवानिगुल्ल संयुक्त कलेक्टर (श्रे.से.),
स्थानीय कार्यालय को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला
चिकित्सालय, जिला रायसेन, को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की जाती है।
जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण करके विभागीय जांच प्रतिवेदन
अभिमत सहित अभ्यास/प्रकरण को भेजना सुनिश्चित करे।
(स्वास्थ्य आयुक्त, म.प. ग्राह अनुमोदित)

(डीविनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क. /4/शिका./सेल-5/एक-28/रायसेन/2019/
प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, दलम भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विभाग/गोपनीय/सीमागल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
6. श्री रघु मण कंदर सरसना, सेवानिगुल्ल संयुक्त कलेक्टर (श्रे.से.), स्थानीय कार्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला— रायसेन।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला— रायसेन म.प. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया
जाता है कि प्रकरण के संबंधित अभिलेख सर्वसंहारी भेजी जाने हेतु जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु जांच में
सहयोग प्रदान करे।
9. श्रीमती निशा तिवारी, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय रायसेन।
10. प्रमुख एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति मेजबर लेख किया जाता है कि जांच की
आदेश विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करायें।
11. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सचिवालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
क/4/शिका./सेल-5/एफ-28/रायसेन/2019/ 1550
भोपाल दिनांक 23/5/2019

डॉ. श्रीलेखा ज्ञारिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के विद्युत संचालनलय, के, ज्ञारिया क/4/शिका./सेल-5/रायसेन/2018/ 654. दिनांक 26.03.2018 के द्वारा आपोग पत्रादि जारी किये गये।
डॉ. ज्ञारिया द्वारा आपोग पत्र प्रायोजन छोड़ के उपर्युक्त प्रतिवाद केन्द्र विभाग जांच संबंधित करने का निर्देश दिया गया। अतः श्री रघु नाथ सप्तर, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर (राजप्र.से.), स्वास्थ्य कार्यालय के विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं सिद्धि सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिकार, जिला चिकित्सालय, जिला रायसेन को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर विभागीय जांच संबंधित की जाती है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक महीने पुर्ण करके विभागीय जांच प्रतिवेदन अभिगत सहित अध्ययनार्थक प्राप्त करने के बगला सुनिश्चित करें। (स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप. द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक (शिकायत)
सचिवालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क/4/शिका./सेल-5/एफ-28/रायसेन/2019/

उप संचालक एवं आयुक्त कार्यालय हेतु प्रस्तुत
1. प्रमुख सचिव, नौकरी प्रदेश, रायसेन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ व्यवन, भोपाल।
2. निज सहायक, रायसेन, मध्यप्रदेश, स्वास्थ्य कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला रायसेन मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विज्ञापन / गोपनीय / सी.एम.सी. स्वास्थ्य कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. श्री गोपाल चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर (राजप्र.से.), स्वास्थ्य कार्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – रायसेन।
8. सिद्धि सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिकार, जिला-रायसेन म.प्र. प्रतिवेदन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख समय सीमा में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु जांच में सहयोग प्रदान करें।
9. डॉ. गोपाल चन्द्र सक्सेना, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय रायसेन।
10. मुख्य एवं आई.एस. सेल, स्वास्थ्य कार्यालय की ओर आदेश की प्रती भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की एंट्री पर अपलोड कराएं।
11. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिकायत)
सचिवालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
बंदी शर्मन उर्फ सोवन सिंह की मृत्यु के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें 
मध्यप्रदेश
कमांक/4/शिकार/ढीई-2/2019/522
//आदेश//
भोपाल, दिनांक 21/2/2019

बंदी शर्मन उर्फ सोवन सिंह की मृत्यु के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश में आदेश कमांक 4/शिका/ढीई-2/1736, दिनांक 28.09.2018 के द्वारा मुख्य शिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त विभागीय जांच
आदेश में आशिक संशोधन करते हुए मुख्य शिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के स्थान पर
सिद्धिविनोज संशोधन करते हुए मुख्य अस्पताल अधिकारी छतरपुर को उक्त विभागीय जांच
प्रक्रिया में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग
सागर यथावत् जांचकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शर्त शर्त यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त श्र.प्र. द्वारा आदेशित)

पू.कमांक/4/शिका/ढीई-2/2019/

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सहित्य, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बलराम
भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।

2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र।

3. संयुक्त संचालक, विज्ञापन/संगीत/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर
निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रिया का जांच प्रतिवेदन 15 दिवस की समयावधि में
संचालनालय को उच्चलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य शिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर।
6. सिविल राज्य सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छतरपुर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में ततकाल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शोधातिसीमा आवश्यक कार्यवाही तथा प्रकरण से संबंधित संचालनालय में संगठित दस्तावेज़/अभिलेख प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

7. डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विज्ञापन जिला छतरपुर-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.प्रदीप कुमार द्विवेदी को तामील करते हुए तामीली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराये।

8. प्रमाणी एम.आई.एस.सेल, राज्यीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की ब्लेकसाइट पर अपलोड करें।

9. आदेश नतीजी।

[Signature]
संयुक्त संचालन (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
बंदी शोभन उर्फ सोवन सिंह की मृत्यु के संबंध में संरक्षित विभागीय जांच प्रक्रिया में आदेश कमांड 4/ शिका / डीई-2 / 1738, दिनांक 28.09.2018 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को प्रस्तुत करता अधिकारी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में डॉ. बी.एस. वाजपेयी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर हैं जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त विभागीय जांच आदेश में आशिक संशोधन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के स्थान पर सीविल सर्जन सह मुख्य अत्यधिक अधिकारी छतरपुर को उक्त विभागीय जांच प्रक्रिया में प्रस्तुत करता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर यथावत जांचकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की सेवा शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पूर्व कमांड 4/ शिका / डीई-2 / 1999 / प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र।

3. संयुक्त संचालक, विज्ञान/गोपीनाथ/लोपेश शास्त्री श्यामानाथ कार्यालय।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रिया का जांच प्रतिवेदन 15 दिवस की समयावधि में संचालनालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर।

..............................2
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छतरपुर (प्रत्स्थानकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण ने तत्काल विभाषण जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही तथा प्रकरण से संबंधित संचालनालय में संख्यातिर दस्तावेज / अभिलेख प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

7. डॉ.इ.से.वाजपेयी, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय छतरपुर वर्तमान में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर - सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छतरपुर की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.इ.से.वाजपेयी को नामील करते हुये तामिल रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावे।

8. प्रभारी एम.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवर्साइट पर अपलोड करें।

9. आदेश नस्ली।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
कमांक/4/शिकाय/शेल-7/शाजापुर/फ. नं. 53/2019
21/01/2019

आदेश

संचालनालय के भाग कमांक 31 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा - .डॉ. बी.एल. गुप्ता सर्जिकल विशेषज्ञ सिविल अस्पताल शुजापुर की डूबू नसाबंदी ऑपरेशन के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 27.01.2014 से दिनांक 10.02.2015 तक की अवधि हेतु लगाई गई थी किन्तु डॉ. गुप्ता द्वारा अपनी उपस्थिति उक्त अवधि के दौरान नियमित रूप से नहीं की गई और दिनांक 09.02.2014 को अपने निवास पर निरीक्षण का वैकायप करते हुए पाए जाने के कारण डॉ. गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर प्रतिबंध उद्लाल बना दिया गया था।

.डॉ. बी.एल. गुप्ता सर्जिकल विशेषज्ञ सिविल अस्पताल शुजापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिबंध उद्लाल दिनांक 27.02.2016 एवं आवेदन दिनांक 27.03.2018 का परीक्षण उपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

.डॉ. बी.एल. गुप्ता सर्जिकल विशेषज्ञ सिविल अस्पताल शुजापुर के विरूद्ध उपेक्षा विषयाकित प्रकरण में विभागीय जांच संबंधित करते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी शाजापुर को प्रस्तुतकार्य अधिकारी एवं विभागीय जांच अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र सिंह चन्द्र अपर कलेक्टर सेवानिवृत्त को जांचकार्य अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिबंधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. जे.पी. खरेठ)
संयुक्त संचालक (शिक्षायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिकाय/शेल-7/शाजापुर/फ. नं. 59/2019
21/01/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भवन, बोधपाल म.प्र.
2. निज सहयोग स्वास्थ्य आयुक्त स्वास्थ्य कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर म.प्र.
4. संचालक, एन.एच.एम. ऑर्जन हिल्स भोपाल।
5. उप संचालक, विज्ञान, गोपीनाथ, लीलातल स्वास्थ्य कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
7. मुख्य विकिटसास एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर।
8. श्री दिनेश चन्द्र सिंह अपर कलेक्टर सेवानिवृत्त (जांच अधिकारी) की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में दी गई समायोजन में विभागीय जांच प्रतिबंधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. जिला टीकाकरण अधिकारी शाजापुर प्रस्तुतकार्य अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयाकित प्रकरण में जांचकार्य अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
10. डॉ. बी.एल. गुप्ता सर्जिकल विशेषज्ञ सिविल अस्पताल शुजापुर जिला शाजापुर म.प्र।
11. दूसरी एन.एच.एम. लीलातल स्वास्थ्य कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की ब्रेकसाइट पर अपलोड करायें।

(डॉ. जे.पी. खरेठ)
संयुक्त संचालक (शिक्षायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
डॉ. एस. के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार के विरुद्ध संचालनालय के अधीन कमांड.4/शिकायत/सेल.2/धार/एफ.94/2019/विवेक 276/संपादक, दिनांक 17/11/2019।

डॉ. एस. के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार के विरुद्ध संचालनालय के अधीन कमांड.4/शिकायत/सेल.2/धार/2018/1466/दिनांक 08.08.2018 के द्वारा आरोप पता दिया जारी कर प्रतिवाद उत्तर दिया गया।

डॉ. एस. के. खरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर के परिक्षण, अपर संचालक, विभि द्वारा किये जाने पर प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर को असमावेशनार्क पाये जाने के परिणामस्वरूप डॉ. एस. के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार के विरुद्ध विभागीय जाँच सर्चित करने का निर्देश लिया गया। अत: श्री दिनेश चन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर (स.प्र.से) स्थानीय कार्यालय को विभागीय जाँचकार्य अधिकारी, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार को प्रस्तुतकार्य अधिकृत करना बिवाहीय जांच सर्चित की जाती है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रिया की जाती एक महीने पूर्व तक विभागीय जांच अधिकृत सहित अधीक्षक स्वरूपात्मक को मेला भुगतान किया।

स्वास्थ्य आयुक्त मैध्यप्रदेश द्वारा आदेश।

(डॉ. जे. पी. खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मैध्यप्रदेश

प्र.कमांड.4/शिकायत./सेल.2/धार/एफ.94/2019/प्रतिलिपि--सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थी हेतु :--

1. प्रमुख सचिव, मैध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, मोतिपुर, मैध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मैध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय जाँच प्रक्रिया में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला धार/इंदौर, मैध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक, बिभि स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय जाँच प्रक्रिया में डॉ. खरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर के उल्लेख में प्रेषित।
5. उप संचालक, विज्ञान/गंगानी, लोगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर समंग, इंदौर, मैध्यप्रदेश की ओर विभागीय जाँच प्रक्रिया में प्राप्त पत्र कमांड.49473/दिनांक 06.11.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
7. श्री दिनेश चन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर (स.प्र. से) विभागीय जाँच प्रक्रिया में विभागीय जाँचकार्य अधिकारी, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार विभागीय जाँच प्रक्रिया में प्रस्तुतकार्य अधिकारी की ओर आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. खरे के विरुद्ध सविन्य स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया में विभागीय जाँचकार्य अधिकारी को पूर्व सहयोग प्रदान करें।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार, मैध्यप्रदेश।
10. समग्रीय कोष एवं लेखा इंदौर समेत, इंदौर, मैध्यप्रदेश।
11. जिला कोशलाल अधीक्षक जिला इंदौर, मैध्यप्रदेश।
12. डॉ.एस.के.खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार वर्तमान में जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर के पद से दिनांक 31.12.2018 के संबंधित। द्वारा :-- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर समंग, इंदौर, मैध्यप्रदेश।
13. प्रभावी एवं आई.एस. लेखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति मेजबान लेख किया जाता है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कदम करें।

(डॉ. जे. पी. खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मैध्यप्रदेश
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
क.⁄4 ⁄शिका. ⁄सेल-5 ⁄एफ-62 ⁄राजगढ़ ⁄2018 ⁄234 भोपाल दिनंक 10 ⁄1 ⁄2019

:: आदेश ::

डॉ. अनुसूर्या गवली, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़, वर्तमान में स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय, सर्वसंस्था के विरुद्ध संचालनालय के ज्ञाप कर्मकांक ⁄4 ⁄शिका. ⁄सेल-5 ⁄राजगढ़ ⁄2018 ⁄1464, दिनंक 08.08.2018 के द्वारा आसोप पत्रादि जारी किये गये।

डॉ. गवली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किये जाने पर प्रतिवाद उत्तर असमाधानकारक पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय जॉब संशिष्ट करने का निर्णय हिया गया। अतः श्री दिनेश चंद्र सिंह, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर (सर्वसंस्था), स्वास्थ्य कार्यालय को विभागीय जॉबकर्ता अधिकारी एवं उपसंचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर विभागीय जॉब संशिष्ट की जाती है। जॉब अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रक्रिया की जॉब एक माह में पूर्ण करके विभागीय जॉब प्रतिवेदन अभिनंदन सहित अध्योपस्तापकों को भेजना चुन्निशिष्ट करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.जे.पी.के)
संचालन संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क.⁄4 ⁄शिका. ⁄सेल-5 ⁄एफ-62 ⁄राजगढ़ ⁄2018 ⁄भोपाल दिनंक

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वर्ल्ड भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला राजगढ़ ⁄सर्वसंस्था मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विब्याप्त ⁄गोपाली ⁄लीलागंगा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
6. श्री दिनेश चंद्र सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर (स.प्र.से.), स्थानीय कार्यालय।
7. मुख्य विभागीय एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-राजगढ़/रायसेन।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-राजगढ़/रायसेन म.प्र।
9. उपसंचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख समय सीमा में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए जांच में सहयोग प्रदान करें।
10. डॉ. अनुसूरिया गवली, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला विभागीय रायसेन।
11. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
श्रीमती ममता अहिरपार शहायक ग्रेड-3 कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय छतरपुर से प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 08.02.2018 प्राप्त हुआ। श्रीमती ममता अहिरपार द्वारा शासकीय झुरूटी के दौरान यीन उल्पीडन किये जाने पर श्री राजकुमार गोस्वामी, लेखापाल/तत्कालीन प्रभारी मुख्य लिपिक कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छतरपुर के विरूद्ध आमदारपूर्ण, अश्लील एवं असवेतनशील व्यवहार के संबंध में ली गई शिकायत के तात्कालिक में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उलेख किया है कि उपलब्ध साक्षयों के आधार पर श्री राजकुमार गोस्वामी, लेखापाल/तत्कालीन प्रभारी मुख्य लिपिक, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टा दोषी पाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा श्री राजकुमार गोस्वामी के विरूद्ध इनके उक्त क़ृत्यों के अनुसूच वैधानिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त संबंध में श्री राजकुमार गोस्वामी को संचालनालय के ज्ञाप कमांक 1805 दिनांक 09.10.2018 को आरोप पत्र जारी किया जाकर प्रतिवेदन उत्तर चाहा गया। श्री गोस्वामी द्वारा आरोप पत्रों का प्रतिवेदन उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः विचारपत्रीय श्री राजकुमार गोस्वामी, लेखापाल एवं प्रभारी मुख्य लिपिक कार्यालय सिविल सर्जन छतरपुर के प्रकरण में विभागीय जांच राखिया किये जाने का निर्णय लिया जाकर सशिक्षित विभागीय जांच प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण विभागीय जांच की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(डॉ.जे.पी.खेर)
संचालक संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज साहायक आयुक्त स्वास्थ्य न.प्र. भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, अविज्ञता/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, अविज्ञता शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसर।
6. मुख्य विभाग एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर (जांचकर्ता अधिकारी) को प्रस्तुत कर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच की कायमवाही एक माह में पूरा कर जांच प्रतिबद्धन अधोंस्ताकेतक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) को ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें एवं प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
8. श्री राजकुमार गोस्वामी, लेखापाल एवं प्रभारी मुख्य लिपिक कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्थायी अधीक्षक छतरपुर – द्वारा मुख्य विभाग एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर की भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति श्री राजकुमार गोस्वामी को तामिल कित्ते हुये तामिल रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावें।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।

[संयुक्त संचालक (शिकायत) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश]
डॉ० (श्रीमती) वर्षा मुखर्जी, विचित्रता अधिकारी, जिला विचित्रता बैठक को दिनांक 28.06.2007 से कर्मचारी स्थल से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस एवं आरोप-पत्र दिनांक 31.03.2012 को जारी किये गये। डॉ० वर्षा मुखर्जी, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में स्थानांतरण होने से पूर्व से स्वयं का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश पर रहने का उल्लेख किया गया है डॉ० वर्षा मुखर्जी के विरुद्ध कर्मचारी स्थल से अनावश्यक रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अन्तर्गत आरोप-पत्र अन्तिम पद स्थापना स्थल पर भेजकर विधायी जांच प्रस्तावित की गई थी। संबंधित अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर संचालनकर्ता नहीं पाया गया है। डॉ० वर्षा मुखर्जी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अन्तर्गत विधायी जांच संचालित की जाती हैं।

अतः डॉ० (श्रीमती) वर्षा मुखर्जी के विरुद्ध संचालित विधायी जांच प्रकरण में श्री समेत चन्द्र राय, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी एवं संयुक्त संचालक, विधायी संचालक विधायी संचालक भोपाल डॉ० अमृतलाल गलवाली को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी निर्देशित किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन दो माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

प्रधानमंत्री—सूचनार्थ एवं आवश्यक वार्तालाप हेतु—
1. प्रमुख सर्वेक्षण, महानगर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्री, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं, वर्तमान कार्यालय।
3. अधिकारी (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाओं, वर्तमान कार्यालय।
4. कलेक्टर जिला, बैलूल।
5. डॉ० अमृतलाल गलवाली संयुक्त संचालक, (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) कश्मीरी संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं, भोपाल को ओर विधायी जांच कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
6. श्री समेत चन्द्र राय, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर (जांचकर्ता अधिकारी) संचालक, आई.सी.बी.एस. जय प्रकाश विचित्रता पारिस्थितिक सिविल भोपाल को ओर अधिकारिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
7. उप संचालक (बिजनी) स्वास्थ्य सेवाओं, वर्तमान कार्यालय।
8. स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैलूल को ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पूर्णता प्रति अपने स्वरूप से भी जारी कर संबंधित विचित्रता को तामाखना सुनिश्चित कर प्राप्ती अभिप्रेत कर्तव्य की छायाप्रति संचालनालय को 07 दिन में अनिवार्यतः मेलें।
9. डॉ० (श्रीमती) वर्षा मुखर्जी, विचित्रता अधिकारी, जिला विचित्रता बैलूल।
10. स्वास्थ्य आयुक्त कर्तव्य।
11. `उच्चारण' एवं `आप्ता' एवं `पूर्वायुक्ता' वर्णनात्मक रूप से कर।